न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः 267/2025
निर्णय दिनांक : 31.12.2025
दायर दिनांक : 01.10.2025
जीसीएमएस नम्बर : 2025/420

1. गंगासिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी कस्बा सुजानगढ़ जिला चूरू

..... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू
2. दीपाराम पुत्र बुधाराम जाति जाट निवासी ग्राम देवाणी तहसील सुजानगढ जिला चूरू

.....अप्रार्थी

3. मोहम्मद रफीक गौरी पुत्र स्व. अब्दुल गनी जाति लीलगर वार्ड नम्बर 19 इन्द्रा बस्ती, कस्बा सुजानगढ जिला चूरू

.....गोण प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रमेशकुमार बिशु।
2. अप्रार्थी संख्या 1 पेरोकार राज उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 व गौण अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री नेमीचन्द।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़, जिला–चूरू

–:निर्णयः–

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि वाके रोही ग्राम कस्बा सुजानगढ पटवार हल्का सुजानगढ मे 2209/2165 तादादी 1.0418 है0 दर्ज है । जिसमे प्रार्थी के द्वारा बजरिये विक्रय पत्र 12/06/2025 को 0.2529 हेक्टेयर भूमि गौण प्रतिवादी मोहम्मद रफीक को विक्रय कर दी जिसके सयुंक्त खातेदारी दर्ज है। उपरोक्त खातेदारी वर्तमान खसरा नम्बर 2209/2165 पूर्व खसरा नम्बर 2165/2151 तादादी 1.7816 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम से दर्ज थी, जिसमें प्रार्थी ने दिनांक 18/03/21 को बजरिये पंजीकृत विक्रय 0.7398 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 2 दीपाराम को विक्रय कर दी, एवं विक्रय की गई भूमि का आसा पासा वर्णित कर दिया गया था। उक्त विकय पत्र के आधार

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

पर प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से 0.7398 हेक्टेयर की खातेदारी पृथक से दर्ज हुई एवं प्रतिवादी संख्या 2 के खरीद खातेदारी नये खसरा नम्बर 2208/2165 तादादी 0.7398 दर्ज हुये एवं प्रार्थी के नये खसरा नम्बर 2209/2165 तादादी 1.0418 हेक्टेयर दर्ज हुये । उक्त विक्रय पत्र दिनांक 18/03/21 को बजरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के खसरा नम्बर 2208/2165 तादादी 0.7398 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 2 दीपाराम के नाम भूमि को पृथक दर्ज करते समय हल्का पटवारी के द्वारा राजस्व एक्स मे नये खसरा नम्बर 2208/2165 तरमीम करते समय भुलवश गलत तरमीम अंकित कर दी जो कि विक्रय पत्र एवं मौके के अनुसार नहीं की, जबकि दीपाराम का हिस्सा पूर्व से पश्चिम तक साफ तोर पर खानपुर की सीमा तक दर्शाया गया था एवं साथ ही दक्षिण तरफ 18 फुट का रास्ता जो कि मोके पर प्रार्थी की खातेदारी मे छोडा हुआ दर्शाया गया था यानि की प्रार्थी की शेष खसरा नम्बर 2209/2165 तादादी 1.0418 हेक्टेयर की भूमि दक्षिण तरफ की भूमि ही रही । जबकि हल्का पटवारी ने उपरोक्त खसरा नम्बर खसरा नम्बर 2209/2165 तादादी 1.0418 हेक्टेयर को दीपाराम को विक्रय की गई भूमि के पश्चिम मे दर्ज कर दिया जो पूर्णतया गलत किया गया है। जिसकी दुरस्ती की जानी है। वादगत भूमि का सलंग्न गलत तरमीम नक्शा एवं सही तरमीम हेतु नक्शा प्रार्थना पत्र के सलंग्न दर्शाया गया है । प्रार्थी के पास खसरा नम्बर 2209/2165 तादादी 1.0418 हेक्टेयर की भूमि मौके पर भी दीपाराम को विक्रय की गई भूमि के दक्षिण तरफ की भूमि कब्जे काश्त अधिकार उपयोग उपभोग मे है राजस्व रेकार्ड मे नक्शा गलत स्थान पर तरमीम किया हुआ है उपरोक्त राजस्व तरमीम गलती विक्रय पत्र मे दक्षिण तरफ रास्ता 18 फुट अंकित दर्ज होने के कारण हुई है जबकि उपरोक्त रास्ता प्रार्थी ने दीपाराम को विक्रय की गई भूमि एवं अपनी शेष मध्य भूमि में आवागमन के लिये अंकित किया एवं दर्शाया गया। जिस कारण नक्शा तरमीम करने मे भारी विरोधा भासी भूल रही है । जो कि दुरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त एक्स तरमीम गलत होने की जानकारी प्रार्थी के द्वारा बजरिये विक्रय पत्र 12/06/2025 को 0.2529 हेक्टेयर भूमि गौण प्रतिवादी मोहम्मद रफीक को विक्रय करने पर एवं उपरोक्त विक्रय पत्र के बाद भूमि को पृथक पृथक दर्ज करवाने के लिये राजस्व एक्स का अवलोकन करने पर हुई है, जिस कारण प्रार्थी के लिये आवश्यक हो गया है कि वह न्यायालय हाजा की सहायता से उपरोक्त राजस्व एक्स मे दर्ज गलत तरमीम शुद्ध करावे। जिसके लिये वादी ने प्रतिवादी से निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 2 ने तहसील कार्यालय में आकर तरमीम दुरस्ती करवाने में असमर्थता जाहिर की। जिस कारण प्रार्थना पत्र पेश किया जाना लाजमी हो गया है।

उपरोक्त एक्स तरमीम दुरस्त किये जाने से किसी प्रकार से कोई नुकसान नही है, वर्तमान मे गलत तरमीम होने के कारण प्रार्थी को भारी नुकसान हो रहा है एवं जिस प्रकार से वर्तमान राजस्व रेकार्ड मे एक्स मे वादी की भूमि दर्शायी गई है मोके पर किसी प्रकार से उपरोक्त भूमि नही है क्योकि वर्तमान एक्स मे प्रार्थी की भूमि दीपाराम के पश्चिम तरफ

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

खानपुर सीमा तक दर्शायी गई है जबकि खानपुर सीमा तक दीपाराम को विक्रय की गई भूमि दर्शायी जानी थी जिसके अनुसार रेकार्ड मे कायम करवाना चाहता है। ताकि प्रार्थी भविष्य मे होने वाली परेशानियो से दुर रह सके एवं गलत रेकार्ड के आधार पर प्रार्थी वादी को नुकसान न हो ।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट राजस्व नक्शा शुद्धि करवाने राजस्व रेकार्ड मे पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ को आदेश दिया जावे कि वाके रोही सुजानगढ के खसरा न. 2209/2165 तादादी 1.0418 हेक्टेयर एवं खसरा नम्बर 2208/2165 तादादी 0.7398 हेक्टेयर का तरमीम नक्शा दर्शाया है गलत है, वर्तमान मे दर्शाया राजस्व एक्स गलत है, जो कि दुरस्त किये जाने योग्य है, सलग्न नजरी नक्शा एवं विक्रय पत्र 18/03/21 को बजरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के अनुसार राजस्व एक्स नक्शा मे तरमीम किया जावे, एवं मौके की स्थिति के अनुसार रेकार्ड मे दुरस्ती करवाये ।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व गौण प्रतिवादी संख्या 3 ने इकबाल जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मूल वाद के संलग्न नजरी नक्षा अनुसार सही तरमीम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जाती है तो एतराज नहीं है वादी का वाद स्वीकार किया जाएं अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ से हस्तगत प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी कस्बा सुजानगढ़ का खसरा संख्या 2208/2165 तादादी 0.7309 है0 व ख0नं0 2209/2165 तादादी 1.0418 है0 में मौका स्थिति अनुसार राजस्व रिकार्डें नक्शा एवं मौकानुसार नक्शा अशुद्ध है। राजस्व रिकार्डें में उक्त त्रुटि विक्रयपत्र का नामान्तरकरण संख्या 1698 दर्ज करते समय हुई है। वादी गंगासिंह मुताबिक विक्रयपत्र व मौकानुसार काबिज है। मुताबिक कब्जा व विक्रयपत्र अनुसार तरमीम संलग्न नजरी नक्शानुसार शुद्ध किया जाने बाबत तहसीलदार सुजानगढ़ द्वारा अभिशंषा की

बहस सुनी गयी। पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। सुसंगत विधि का अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट तहसीलदार तथा पटवारी द्वारा प्रस्तुत नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 2208/2165 व 2209/2165 की तरमीम विक्रय पत्र एवं मौका स्थिति के अनुसार नहीं है। वर्तमान राजस्व एक्स में वादी की भूमि दर्शायी गई है वो मौके पर किसी प्रकार से उपरोक्त भूमि नही है क्योकि वर्तमान एक्स मे प्रार्थी की भूमि दीपाराम के पश्चिम तरफ खानपुर सीमा तक दर्शायी गई है जबकि खानपुर सीमा तक दीपाराम को विक्रय की गई भूमि दर्शायी जानी थी।

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम मौका अनुसार नहीं होने से प्रार्थी को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अप्रार्थी संख्या 2 व गौण अप्रार्थी संख्या 3 ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने बाबत निवेदन किया है। इस प्रकार मौका स्थिति अनुसार राजस्व एक्स एवं राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी गलत है जो कि दुरस्त किये जाने योग्य है। इसलिए मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़, मौका स्थिति के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

—:आदेश:—

प्रार्थना—पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही सुजानगढ़ कस्बा के ख0नं0 2209/2165 तादादी 1.0418 है0 एवं ख0नं0 2208/2165 तादादी 0.7398 है0 का वर्तमान राजस्व नक्शा गलत है जो निम्नानुसार शुद्ध किया जाकर राजस्व एक्स नक्शा में तरमीम किया जाये।

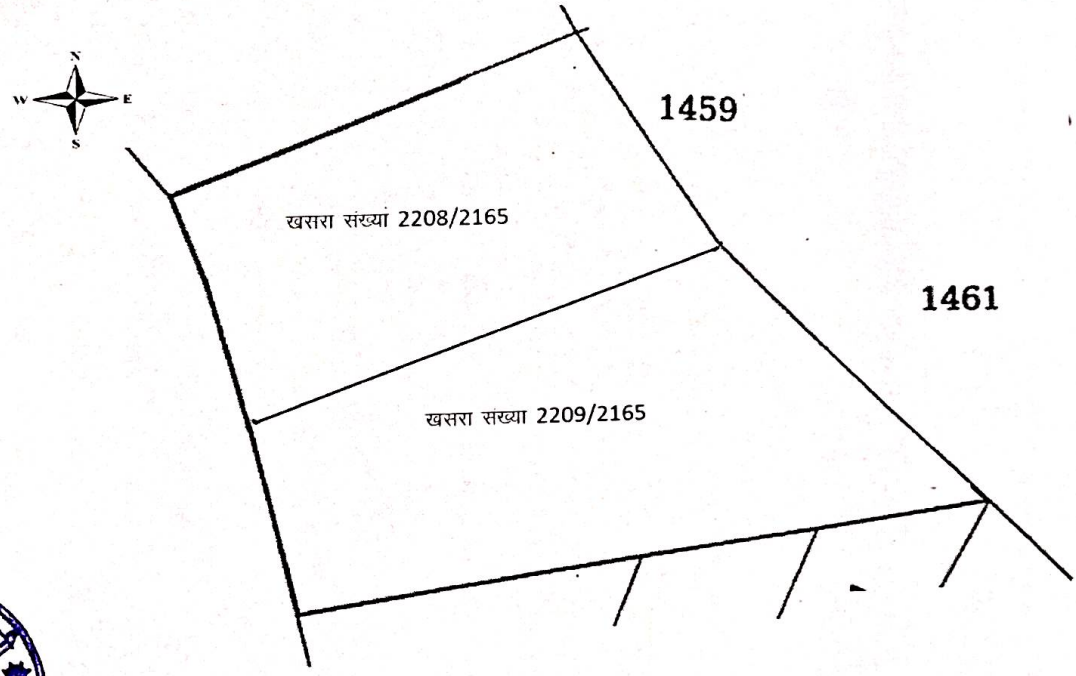

निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित की जाये। निर्णय आज दिनांक 31.12.2025 को टंकित करवाया जाकर सरेआम इजलास में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़